(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 06/2024- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ” ।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 669(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 781(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।